


1.2

24

शहीद मोहन सिंह गोटर मार्ग का वसाली तक प्रिस्टर  
(ले 5.00 किमी)

1:50,000




1.3

32


शहीद मोहन सिंह गोटर मार्ग का वसाली तक प्रिस्टर  
(ले 5.00 किमी)

1:50,000



शाहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)


(लो 5.00 किमी०)



शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (₹10 5.00 किमी)

(₹10 5.00 किमी)

80



N.N.Z.A. रवनी उद्धरण — ग्राम-भनरगांव  
पटवारीसेत—पातलीबाड़ तहसील—सोमेश्वर जिला—अल्मोड़ा

प्र० ३३

खाता सं.	रवनीदार का नाम	पत्तवी संख.	खेत नं.	क्षेत्रफल	लागत	विवरण
29	बै. का० आ० आ०		1	1.911		
			4	0.104		
			13	0.008		
			40	0.003		
						लाभमंदा।
			1262	0.31		
			1264	0.020		
			1270	0.441		
						लाभमंदा।
			1865	0.667		
			1868	0.172		
			1872	0.038		
			1873	0.0125		
						लाभमंदा।
			1857	0.908		
			2047			
			257	0.564		
			2042			
			1857	0.655		
			2050			
			पोरा	128	27.440	
						1392 लक्ष

मटोदाय  
N.N.Z.A. रवनी उद्धरण  
विवाह किया  
अधिकारी अधिकारी ३४  
देव - पातलीबाड़  
तहसील - सोमेश्वर  
जिला - अल्मोड़ा

## प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की ओचित्य एवं आवश्यकता

20।

कार्य का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड ताकुला के अंतर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार ( ल० 5.00 किमी ) हेतु बन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावना—

इस मोटर मार्ग निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शाहरुख्या 3704 / 111 (2) / 2008 / 49 एगोल००३ / 2008 वि. 19.11.2008 के द्वारा 175.00 लाख की प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण / 7-1-2006-600 (1224) / 2005 वि. 18.1.06 द्वारा स्वीकृति प्राप्त थी। जिरामे मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मोटर मार्ग के निर्माण का मुख्य लक्ष्य स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा से जोड़ना / उनके द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जी को बाजार तक पहुँचाना एवं क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर करना है।

प्रत्रावित मोटर मार्ग के निर्माण होने से निम्नलिखित ग्रामों की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

कम संख्या

ग्राम का नाम

जनसंख्या

1-	खड़ाऊ	126
2-	गंगोलाकोटली	455
3-	बुराई	112
4-	झकुना	1144
5-	बसोली	322
6-	भैसाडी	265

योग

2424

मार्ग निर्माण हेतु 2 रामरेखनों पर विचार एवं सर्वेक्षण किया गया।

समरेखन नं० 1— यह समरेखन मार्गीय सर्वेक्षण विभाग के माननिप पर लाल रंग से दर्शाया गया है। यह मार्ग पूर्व निर्मित शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के किमी० 2 से प्रारम्भ होता है तथा उपर्युक्त गांवों को जोड़ता हुआ अल्मोड़ा-ताकुला—बागेश्वर मोटर मार्ग को बसोली के सीधे जोड़ता है। इसमें दो हेतुर पिन बैण्ड आते हैं, तथा नाप / सिविल गूमि (राज्य भूमि) पड़ती है। इस समरेखन में लागत एवं मार्ग की लम्बाई कम होने से स्थानीय जनता को अधिक लाभ मिलेगा, तथा इस समरेखन में गांव वासियों की राहमति भी प्राप्त है। अतः इस समरेखन को स्वीकृत किया गया है।

समरेखन नं० 2— यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के माननिप पर नीले रंग से दर्शाया गया है। यह मार्ग पूर्व निर्मित शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के किमी० 2 से प्रारम्भ होता है तथा उपर्युक्त गांवों को जोड़ता हुआ अल्मोड़ा-ताकुला—बागेश्वर मोटर मार्ग को बसोली के सीधे जोड़ता है। इसमें चार हेतुर पिन बैण्ड आते हैं, जिससे मार्ग की लम्बाई एवं लागत बढ़ती है। इस समरेखन में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की गई है। इस समरेखन में नाप / सिविल गूमि (राज्य भूमि) / आरक्षित भूमि अधिक गांव में प्रभावित होने के कारण इस समरेखन को निरत किया गया।

रंग से दर्शाया गया है, को अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, ल००१०वि००, अल्मोड़ा द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृत प्रदान की गयी है।

उद्देश्य— इस मार्ग के बन जाने से प्रस्ताव में अंकित ग्राम लाभान्वित होंगे एवं उक्त मार्ग के बन जाने से उस क्षेत्र का समुचित विकास हो सकेगा, एवं ग्रामवासियों को यातायात, कारतकारों को दैनिक / सामाजिक जीवन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

उत्तरीति— इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग का निर्माण ल० 5.00 किमी० एवं चौड़ाई ९मी. में ली गयी है। प्रभावित वृक्षों की गणना गात्र ७००० चौड़ाई में की गयी है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। जिनको कम किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 2.3500 हेतुर सिविल बेनाप राज्य गूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थी यह बन भूमि न्यूनतम है। जिसका बन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव बन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गठित कर पूर्व स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

सहायक अभियन्ता  
निर्माण बैण्ड ल००१०वि००  
अल्मोड़ा

अधिकारी अभियन्ता  
निर्माण बैण्ड ल००१०वि००  
अल्मोड़ा

प्रारूप-6

203

(23)

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का विस्तार (लग. ५.०० कि.मी.) का निरीक्षण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रामाण -पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनोंका 15-2-2011 की उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री २३. शेष्ठा, डॉ. लक्ष्मी पाल, परवाही, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री १०. संजू. रामनाथ, ४२३. ल०२२. निरीक्षण की ओर से श्री १०. लक्ष्मी पाल विभाग की ओर से श्री १०. संजू. रामनाथ, ४२३. ल०२२. निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजन हेतु आरक्षित वन भूमि बूझपूर्ण हैं। विवेकर, रिविल एवं सोयप वन भूमि २-३५.८० हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि बूझपूर्ण हैं। विवेकर एवं नाप भूमि २-१५.८० हेक्टेयर प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नात्मक वर्गीकरण में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।


— अन्तर्को वी राज्य संलग्न —

ज्ञाने रति सत्यपित

विवेकर अधिकारी, अधिकारी, विवाह वन, ल००निवास, अल्मोड़ा।

सहायक अधिकारी,  
विवाह वन, ल०० निवास  
अल्मोड़ा।

अधिकारी अधिकारी  
विवाह वन, ल००निवास  
अल्मोड़ा।



वन विभाग  
काल्पनिक वन संबंधी

अतिहस्तावरित

विवाह वन विभागी  
अल्मोड़ा।

तत्त्वज्ञानी  
वन संबंधी

प्रमाणपत्र अवधारणा,  
अल्मोड़ा वन विभाग, अल्मोड़ा  
वन विभाग अवधारणा

### Alignment

Name of work-

जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बरीली तक विस्तार।

Sl. No.	Particular	Alignment No-1 (mark with Red ink)	Alignment No-2 (mark with Green ink)
1	Topography	Start from Shahid mohan singh marg Km. 2.00	Start from Shahid mohan singh marg Km. 2.00
2	Length of Road	4.90Km.	5.50 Km.
3	Bridging requirement No. and Length	Nil	Nil
4	Geometric	1:24. Level	1:24. Level
	(a) Gradients	2No.	2No.
	(b) Curves, H.P. Bends		
5	Existing means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	All villages are connected by bridle path (Dasola Makraon road)	Same as alignment no.1
6	Right of way, bringing out. Construction on account of built up areas, monuments and other structures	Same as alignment no.1	Same as alignment no.1
7	(a) Terrain & soil condition (i) Nature of soil (ii) Geology of the area (b) Road length passing through (i) Mountainous terrain (ii) Steep terrain (iii) Rocky stretches with indication of length in loose rocky stretches (iv) Area subject to avalanches and snow drift (v) Slip Zone Area (vi) Cliffs and gorges (vii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding (viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends (ix) Variations extants and types Climate condition: (a) Temperature monthly max.& min. reading.	E.&B., H.S., V.H.S. Hill Terrain 4.90Km. -	E.&B., H.S., V.H.S. Hill Terrain 5.50km. -
			0.15Km.
		Same as alignment no.1	Same as alignment no.1
		Maximum height is 1112.26 Maximum height is 1000.00	Maximum height is 1112.65 Maximum height is 1000.00
8		Maximum 40 C Maximum 4 C	Maximum 40 C Maximum 4 C

204

(14)

(5)

(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution(to the extent available)	Moderate rainfall	Moderate rainfall
(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution(to the extent available)	Negligible snow fall	Negligible snow fall
(d) Wind direction and velocities	Record not available	Record not available
(e) Fog condition		
(f) Exposure to sun	For remain during rains	For remain during rains
(g) Unusual weather conditions like cloud brust etc.	Nil	Nil
9 Facilities resources (a) Landing ground (b) Dropping Zone (c) Food stuffs	Not available Not available Crops, vegetables, fruits, Milk production area Local & Nepali labour also available	Not available Not available Crops, vegetables, fruits, Milk production area Local & Nepali labour also available
(d) Labour local availability and need for import (e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, stone, shingle etc. extent of their availability and lead involved	Locally available	Same as alignment no.1
10 Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land etc.	Agricultural land-1.00 km. Irrigated land-2.00 Built up land-Nil F. land& F.P.R.F-3.90	Agricultural land-1.00 km. Irrigated land-1.00 Built up land- F. land& F.P.R.F-4.500
11 Approximate Constt.Cost	Total cost Rs.175.00 lacs	Total cost Rs.175.00 lacs
12 Access point indicating possibility of induction of equipment	Access is not available at present. However it can be made easily to induction of equipment like compressor during hill cutting operation upto Road head.	Same as alignment No.1
3 Period required for construction	After 2 years land made available	Same as alignment No.1
4 Strategic Consideration	To provide better communication	Same as alignment No.1
5 Important villages, towns and markets centres to be connected	Basoli, Takula	Same as alignment No.1
6 Recreational potential	Nothing at present	Same as alignment No.1
7 Economic Factors: (a) Population served by the	Appx.5000	Appx.5000

(6)

alignment (b) Agricultures and economic potential of the area	Limited at present however it is expected to increase after constriction of road.	Same as alignment No.1
18 Other major development projects being taken up electric projects etc.	Nil	Nil
19 (i) Misc. such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty (iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material (v) Working period available for construction of work	Nil Nil Nil Local contractor are available for the work. Almost whole the year except rainy season.	Nil Nil Nil Local contractor are available for the work. Almost whole the year except rainy season.
20 Merits	1- Hill side slope easy and no steep zone fall in this. 2-less cost involved in this alignment	Nil
21 Demerits		1- More irrigated land involved. 2- More cost involved in this alignment. 3- Such portion steep gradient in involved .

#### RECOMMENDATIONS:

Alignment no.(1) shown with red ink is hereby recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.



Junior Engineer  
C.D., P.W.D.  
Almora



Assistant Engineer  
C.D., P.W.D.,  
Almora



Executive Engineer  
C.D., P.W.D.,  
Almora

2.5  
३६

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 2.35 हेटो वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रयोक्ता एजेंसी  
शहीद मोहन सिंह  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी

जिलाधिकारी  
शहीद मोहन सिंह  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

सहायक अधिकारी,  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रशासन, अल्मोड़ा

2.7

(61)

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)

परियोजना की लम्बाई—चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हेटो में)
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-
2	सिविल सोयम भूमि	2611.11	9	2.35
3	वन पंचायत भूमि	-	-	-
	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो) वन भूमि का योग			
4	नाप भूमि	2388.88	9	2.15
	कुल योग—	4999.00	9	4.50


सहायक अधिकारी,  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेंसी  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

कफठलाल शुभ्राम

कफठलाल शुभ्राम  
वन वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रशासन, अल्मोड़ा

कफठलाल शुभ्राम  
वन वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रशासन, अल्मोड़ा



JUNIOR ENGINEER CONSTRUCTION  
ASSISTANT ENGINEER DIVISION  
EXECUTIVE ENGINEER  
D.P.M.D. ALMOA

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा बन प्रशासन, अल्मोड़ा  
चालौड़ी बन प्रशासन  
संगत वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र-43

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)

### क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित विल्लैखन परियोजना स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण  
हेतु चिन्हित विल्लैखन

प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा बन प्रशासन, अल्मोड़ा  
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा बन प्रशासन, अल्मोड़ा  
प्रभागीय वनाधिकारी

2012

(84)

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि बन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजायों का रोपण किया जायेगा।

मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण योजना का प्रांकलन

लम्बाई

5.00

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (170 पौधे / किमी0)

850

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई (हे0 / सं0)	इकाई दर (`)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्व एव सीमांकन	5.00	97.00	485.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	5.00	584.00	2920.00
3	फेन्सिंग / ढी गार्ड	850	810.00	688500.00
4	गड्ढा खुदान (0.30X0.30X0.45)	850	7.33	6230.50
5	पौधों का मूल्य	850	5.89	5006.50
6	अन्य कार्य	5.00	1000.00	5000.00
	योग :— (प्रथम चरण)			708142.00
	द्वितीय चरण			
1	गड्ढा भरान (0.30X0.30X0.45)	5.00	1.15	5.75
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	5.00	1.15	5.75
3	पौध दुलान कार्य	5.00	6.39	31.95
4	पौध रोपण व थावावन्दी	5.00	2.06	10.30
5	निराई, गुडाई व मल्टिंग (दो बार)	5.00	0.76	3.80
6	खाद व दवा पर व्यय	5.00	0.22	1.10
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	6 Month	5960.00	35760.00
8	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षों के बचने हेतु पौलीथीन सीट क्रय करना	5.00	200.00	1000.00
9	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
	योग :— (द्वितीय चरण)			37818.65
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण			745960.65
	वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं जलनशील प्रदार्थों का हटाना प्रति है0	4.70	350.00	1645.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	4.70	225.00	1057.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्राप्त्याहन देना	4.70	310.00	1457.00
3	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
	योग :— (प्रथम वर्ष रख-रखाव)			40919.50

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव				
1 रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00	
2 अन्य कार्य		5.00	200.00	1000.00
योग :— (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)				
				36760.00
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव				
1 रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00	
2 अन्य कार्य		5.00	100.00	500.00
योग :— (तृतीय वर्ष रख-रखाव)				
				36260.00
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव				
1 रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00	
2 अन्य कार्य		5.00	200.00	1000.00
योग :— (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)				
				36760.00
वृक्षारोपण का पांचवे वर्ष का रख-रखाव				
1 रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00	
2 अन्य कार्य		5.00	200.00	1000.00
योग :— (पांचवे वर्ष रख-रखाव)				
				36760.00
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव				
1 रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00	
2 अन्य कार्य		5.00	200.00	1000.00
योग :— (छठे वर्ष रख-रखाव)				
				36760.00
वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव				
1 रोपण वर्ष के उपरान्त सातवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00	
2 अन्य कार्य		5.00	200.00	1000.00
योग :— (सातवे वर्ष रख-रखाव)				
				36760.00
कुल योग :—				
				1007425.15
या :—				
				1007400.00

नोट :— उक्त अंकित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि स्तर ही मानी जायेगी

Rajendra

ब्रह्मशाला बालभवन,  
लिराष खण्ड, लो०निं०वि०  
बालयोग

प्रपत्र दर्शाव  
कल्याण दर्शाव

प्रभारीय बनाविकारी,  
अल्मोड़ा बन प्रभारी, अल्मोड़ा

(85)

**परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)**

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े रथानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता,  
लिमाण खण्ड, लो० १० वि०

बधिशासी अधियन्ता,  
निर्याग काण्डा  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
संस्थान

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)

## प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 15.02.2011 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल बेनाप भूमि, वन भूमि, आरक्षित भूमि, वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र सं०	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक / कम्पार्टमैन्ट / खसरा सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग							योग
				10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
1	सिंचिल सौम्यम	गंगोला कोटली	गोड— <i>Pinus roxburghii</i> sarg	4	13	2	—	—	—	—	19
			बाज— <i>Quercus leucotrichophora</i>	9	1	—	—	—	—	—	10
		चुराड़ी	बाज— <i>Quercus leucotrichophora</i>	9	4	1	—	—	—	—	14
			चीड़— <i>Pinus roxburghii</i> sarg	23	15	11	3	1	1	—	54
		भकुना	बाज— <i>Quercus leucotrichophora</i>	—	1	—	—	—	—	—	1
			चीड़— <i>Pinus roxburghii</i> sarg	75	55	25	17	6	2	—	180
योग				120	89	39	20	7	3	—	278
2	नाप भूमि	गंगोला कोटुली	बाज— <i>Quercus leucotrichophora</i>	4	—	—	1	—	—	—	5
			चीड़— <i>Pinus roxburghii</i> sarg	3	—	2	2	—	—	—	7
		भकुना	गोड— <i>Pinus roxburghii</i> sarg	—	—	—	1	—	—	—	1
			बाज— <i>Quercus leucotrichophora</i>	—	4	—	—	—	—	—	4
				7	4	2	4	—	—	—	17
कुल योग				127	93	41	24	7	3	—	295

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

राजि अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,  
उत्तरप्रदेशीय वनाधिकारी

राजस्व विभाग

अतिहस्तावस्थित

जिलाधिकारी

~~2018-2019~~  
~~2019-2020~~

१८५

**प्रसिद्ध वार्षिकीय  
द्वितीय जिलाधिकारी**

प्रारूप-20

(पृष्ठ)

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि

(सिविल सोयम भूमि)

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	शीड़— Pinus roxburghii sarg	10-20	102	120	12240
		20-30	83	240	19920
		30-40	38	900	34200
		40-50	20	1945	38900
		50-60	7	3445	24115
		60-70	3	5280	15840
2	बांज Quercus leucotrichophora	10-20	18	20	360
		20-30	6	70	420
		30-40	1	140	140
		कुल योग	278		146135.00

(नाप भूमि)

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	बांज— Quercus leucotrichophora	10-20	4	20	80
		20-30	4	70	280
		40-50	1	250	250
		10-20	3	120	360
		20-30	-	-	-
		30-40	2	900	1800
2	शीड़— Pinus roxburghii sarg	40-50	3	1945	5835
		कुल योग	17		8601
		महा योग (सिविल सोयम + नाप भूमि)	295		154736.00
		या			154740.00

राजि अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन विभाग, अल्मोड़ा

१५८५  
राजि अधिकारी  
राजि अधिकारी

प्रपत्र-20.1

(पृष्ठ)

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र०सं०	शेत्र का नाम		व्यास वर्ग							योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
1	आरक्षित वन भूमि		—	—	—	—	—	—	—	—
2	सिविल सोयम	120	89	39	20	7	3	—	278	
3	वन पंचायत योग	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	नाप भूमि	7	4	2	4					17
	कुल योग	127	93	41	24	7	3			295

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा प्रभागीय वनाधिकारी

राजि अधिकारी  
राजि अधिकारी

राजि अधिकारी  
राजि अधिकारी

राजि अधिकारी  
राजि अधिकारी

प्रारूप-21

(५६)

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
	आरक्षित वन भूमि	—	—	—
	सिविल सोयम	278	278	—
	वन पचायत	—	—	—
	संरक्षित वन	—	—	—
	योग :- वन भूमि	278	278	—
	नाप भूमि	17	17	—
	कुल योग :-	295	295	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 295 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 295 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

प्रयोक्ता एजेन्सी  
प्रिमाण लण्ड, लो० न० व०  
अल्मोड़ा

प्रशासीय वनाधिकारी,  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा

सहायक अधिकारी,  
निर्माण लण्ड, लो० न० व०  
अल्मोड़ा

नाप वन अधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा

प्रारूप-23

(५८)

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि 295 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

प्रयोक्ता एजेन्सी  
बाविलासी अधिकारी,  
निर्माण लण्ड, लो० न० व०  
अल्मोड़ा

प्रशासीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा

सहायक अधिकारी,  
निर्माण लण्ड, लो० न० व०  
अल्मोड़ा

नाप वन अधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा

प्रपत्र-24

2.18  
५७

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

प्रयोक्ता शुभेश्वरी  
निर्माण खण्ड, ना० नि० वि०  
अल्मोड़ा

प्रशासनीय बनायिकारी,  
प्रभागीय बनायिकारी

प्रशासनीय बनायिकारी,  
बरामदा बन इनाय बरामदा

सह प्रक. अ. भवन्ता  
निर्माण खण्ड, ना० नि० वि०  
अल्मोड़ा

द्वारा दिए गए पात्र  
क्रमों का है

2.19  
८१

## MUCK DISPOSAL PLAN

## MUCK DISPOSAL EXCERSISE INDEX

(88)

- Construction of Shahid Mohan Singh Motor road to Basoli muck disposal annexure I.
- Details of muck disposal yards with lana owner annexure II

  
J.E.

C.D., P.W.D. Almora

  
A.E.

C.D., P.W.D. Almora


  
E.E.  
कर्मचारी विभाग  
अल्मोड़ा


C.D., P.W.D. Almora

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी)

(89)

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा बन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

  
कर्मिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा

  
अधिकारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा

**ANNEXURE-I**

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार  
(लम्बाई 5.00 किमी)

S.No	Meterial receiving from hill cutting 1/2(5000x3x3)	22500	cum
	40% for swell factor	9000	cum
	Total	31500	cum
<b>Disposal and Use of Material</b>			
1	R.R. Stone Masonary laid in 1.5- 1x5x350(1.93+0.60)/2x4	8855.00	cum
2	R.R. Stone Masonary laid in dry- 1x5x250(0.90+0.60)/2x1.80	1687.50	cum
3	Hand packed stone filling- 1x5x12x350x1x4	3500.00	cum
4	Construction of Scupper- 1x5x8x37.09	1483.60	cum
5	Soling work- 1x5x1000x4.05x0.12	2430.00	cum
6	Construction of pucca drain- 1x5x450x0.60x0.60	810.00	cum
7	Construction of wire creat- 1x5x10x6.75	337.50	cum
	<b>Total used</b>	<b>19103.60</b>	cum
	<b>Material disposal by cartage in dumping yard</b>	<b>12396.40</b>	cum

**Location and Quantity of Dabries Disposal**

Location of dumping yard	Size of Dumping yard	Type of Land	Capacity of dumping yard (Cum)
km. 1 hec. 2-4	50x7x5	Private Land	1750.00
km. 1 hec. 8-10	45x6x4	Private Land	1080.00
km. 2 hec. 0-2	40x8.5x5	Private Land	1700.00
km. 2 hec. 4-6	50x6x4	Private Land	1200.00
km. 3 hec. 0-2	56x5x5	Private Land	1400.00
km. 4 hec. 4-6	56x5x5	Private Land	1400.00
km. 5 hec. 0-2	56x9x5	Private Land	2520.00
km. 5 hec. 8-10	50x6x5	Private Land	1500.00
	<b>Total</b>		<b>12550.00</b>

**Summary of Dabries Disposal**

S.No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in dumping Zone	Balance Dabries
	<b>31500.00</b>	12396.40	19103.60	12396.40	-

(90)

(91)

**ANNEXURE-II**

**Details of Muck Diposal Yards with Land Owner Detail**

S. No.	Chainage	Name of Land Owner & Village	Land in Hec.	Land in sqm	Land area being used for dumping yard (sqm.)	Longitude	Latitude
1	km. 1 hec. 2-4	Shri Bhagwat /Singh S/0 Sri Bahadur Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.033	330.00	330.00	29°41'45.21" N	79°40'41.51" E
2	km. 1 hec. 8-10	Shri Jewan singh S/0 Sri Shiv Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.016	160.00	160.00	29°41'42.06" N	79°40'50.03" E
3	km. 2 hec. 0-2	Shri Govind Singh S/0 Sri Shiv Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.010	100.00	100.00	29°41'40.77" N	79°40'53.65" E
4	km. 2 hec. 4-6	Shri Virendra Singh S/0 Sri Bishan Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.005	50.00	50.00	29°41'40.74" N	79°40'59.53" E
5	km.3 hec. 0-2	Shri Nandan Singh S/0 Sri Keshar Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.009	90.00	90.00	29°41'39.97" N	79°41'13.68" E
6	km. 4 hec. 4-6	Shri Shiv Singh S/0 Sri Keshar Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.009	90.00	90.00	29°41'41.69" N	79°41'27.65" E
7	km. 5 hec. 0-2	Shri Sher Singh S/0 Sri Bahadur Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.045	450.00	450.00	29°41'49.10" N	79°41'37.42" E
8	km. 5 hec. 8-10	Shri Bishan Singh S/0 Sri Mote Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.071	710.00	710.00	29°41'48.13" N	79°41'47.06" E
		<b>Total</b>	<b>0.198</b>	<b>1980.00</b>	<b>1980.00</b>		
						<b>0.198hec.</b>	

*Shri Viraj Singh*  
उत्तर प्रदेश के लिए विद्युत विभाग  
लिमिटेड, लो० निः विः  
बालोड़ा

*Shri Viraj Singh*  
उत्तर प्रदेश के लिए विद्युत विभाग  
लिमिटेड, लो० निः विः  
बालोड़ा

*Shri Viraj Singh*  
उत्तर प्रदेश के लिए विद्युत विभाग  
लिमिटेड, लो० निः विः  
बालोड़ा

*Shri Viraj Singh*  
उत्तर प्रदेश के लिए विद्युत विभाग  
लिमिटेड, लो० निः विः  
बालोड़ा

(92)

### मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी)

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- मक डिस्पोजल हेतु चिह्नित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल:- 0.198

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - (0.198 X 2000= 552 पौध)

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	योग
			(रु0 में)	
1	सर्वे एव सीमांकन	0.198	है0	97.00 <b>19.21</b>
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.198	है0	584.00 <b>115.63</b>
3	कुली दीवाल बन्दी (फन्सिंग)	0.198	है0	26460.00 <b>5239.08</b>
4	गडडा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)	396.00	गढ़ा	7.33 <b>2902.68</b>
5	डी0ए0पी0 खाद की लागत (50ग्राम प्रति गडडा)	-		-
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु0 प्रति है0)	0.198	है0	485.00 <b>96.03</b>
7	पौधों का मूल्य	396	पौध	5.89 <b>2332.44</b>
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षक कार्य (10है0) के आधार पर मानते हुए			
	वानपस्पतिक / स्टेन चैकडैम 8x8426.4=67411.2			
	वाटर हावेस्टिंग टैंक (3x2.5x1)5x5140=25700			
	योग= 67411.2+25700=93111.20	0.198	है0	93111.20 <b>93111.20</b>
	अन्य कार्य			400.00 <b>400.00</b>
	योग:-प्रथम चरण			<b>104216.27</b>

### द्वितीय चरण

1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर धान्ना / काला बांस)	-		-	-
2	गडडा भरान (0.30 x 0.30 x 0.45)	396	गढ़ा	1.15	<b>455.40</b>
3	पौध ढुलान कार्य	396	पौध	6.39	<b>2530.44</b>
4	पौधरोपण व थालाबन्दी	396	पौध	2.06	<b>815.76</b>
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई व मल्विंग	396	पौध	0.76	<b>300.96</b>
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई व मल्विंग	396	पौध	1.15	<b>455.40</b>
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	396	पौध	1.15	<b>455.40</b>

(93)

8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रख-रखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.198	है0	4768.00/ per year	<b>944.06</b>
9	रासायनिक दवा प्रति वर्ष	0.198	है0	0.21	<b>0.04</b>
	घास पूस हटाना	0.198	है0	350	<b>69.30</b>
	सुरक्षा पट्टी बनाना	0.198	है0	225	<b>44.55</b>
	प्रचार प्रसार	0.198	है0	400	<b>79.20</b>
	प्रोत्साहन	0.198	है0	200	<b>39.60</b>
10	अन्य कार्य	0.198	है0	700	<b>138.60</b>
	योग द्वितीय चरण				<b>6328.72</b>
	योग प्रथम चरण+द्वितीय चरण				<b>110544.98</b>

### तृतीय चरण (10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है0)

1	पौध की लागत	396	पौध	5.50	<b>2178.00</b>
2	पौध ढुलान कार्य	396	पौध	6.00	<b>2376.00</b>
3	पुन: गढ़े खोदना एवं रोपण कार्य	396	पौध	3.20	<b>1267.20</b>
4	गडडों में गोबर खाद डालना लागत सहित	396	पौध	1.31	<b>518.76</b>
5	पौधों की शीतकालीन मल्विंग	396	पौध	1.11	<b>439.56</b>
6	वनीकरण चौकीदार (12माह)	0.198	है0	4768.00/ per year	<b>944.06</b>
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.198	है0	310.00	<b>61.38</b>
	योग तृतीय चरण				<b>7784.96</b>

### चतुर्थ चरण (रख-रखाव कार्य)

1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.198	है0	4768.00/ per year	<b>944.06</b>
2	अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य।	0.198	है0	310.00	<b>61.38</b>
	योग चतुर्थ चरण				<b>1005.44</b>

### पंचम चरण (रख-रखाव कार्य)

1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.198	है0	4768.00/ per year	<b>944.06</b>
2	अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य।	0.198	है0	310.00	<b>61.38</b>
	योग पंचम चरण				<b>1005.44</b>

### छठां चरण (रख-रखाव कार्य)

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.198	है0	4768.00/ per year	<b>944.06</b>
2	अन्य कार्य अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य।	0.198	है0	310.00	<b>61.38</b>
	योग छठां चरण				<b>1005.44</b>

### सातवां चरण (रख-रखाव कार्य)

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.198	है0	4768.00/ per year	<b>944.06</b>
---	--	-------	-----	-------------------	---------------

विधायक विधायक  
लम्बाड, लो० निं० निं०  
दस्तावेज़

### अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(१५)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम—भगवत् सिंह

ग्राम—गोलाकोटुली

कास सेक्षण Km. I. hse 2-4 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
काश्तकार श्री भगवत् सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह  
ग्राम गोलाकोटुली पट्टवारी वृत्त डिस्ट्रिक्ट जिला ठालमोहा  
के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टर)
1	137/2860	0.0330
2		
3		
4		
5		
6		
7		

ज्ञानी कुमार  
(लाली देवी)  
प्रधान

श्रीम पंचायत गोलाकोटुली  
लिंगमोहा

राजस्व उपचारिक्षण  
राजस्व उपचारिक्षण  
केन्द्र  
तहलील/जिला-अल्मोड़ा

### अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(१६)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम—जीवन सिंह

ग्राम—गोलाकोटुली

कास सेक्षण Km. I. hse 8-10 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
काश्तकार श्री जीवन सिंह पुत्र श्री श्रीवा लिंग  
ग्राम गोलाकोटुली पट्टवारी वृत्त डिस्ट्रिक्ट जिला ठालमोहा  
के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टर)
1	137/2860	0.0168
2		
3		
4		
5		
6		
7		

ज्ञानी कुमार  
(लाली देवी)  
प्रधान

श्रीम पंचायत गोलाकोटुली  
लिंगमोहा

राजस्व उपचारिक्षण  
राजस्व उपचारिक्षण  
केन्द्र  
तहलील/जिला-अल्मोड़ा

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(१६)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम— जीवन लिह  
ग्राम— गंगोला कोटुली

कास सेक्षण Km.1.hse.8.10 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
काश्तकार श्री जीवन लिह पुत्र श्री जीवन लिह  
ग्राम गंगोला कोटुली पटटवारी वृत्त छिक्काड़ जिला ठालमीड़ा  
के नाम भूमि विवरण  
निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टर)
1	५३७/२४६०	०.०१६८
2		
3		
4		
5		
6		
7		

ज्ञानमती हुक्म  
(समीक्षा संकेत)  
प्रधान  
ग्राम पंचायत गंगोला कोटुली  
दिल्लीखें-ताकुली (प्रभाग)

राजस्व उपचिकित्सण  
राजस्व उपचिकित्सण  
क्षेत्र—  
हास्पील/जिला—शहरोड़ा

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(१७)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम—जीविन्द सिंह  
ग्राम—गंगोला कोटुली

कास सेक्षण Km.2.hse.0.2... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
काश्तकार श्री जीविन्द सिंह पुत्र श्री जीवन लिह  
ग्राम गंगोला कोटुली पटटवारी वृत्त छिक्काड़ जिला ठालमीड़ा  
के नाम भूमि विवरण  
निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टर)
1	५३७/२४६०	०.०१००
2		
3		
4		
5		
6		
7		

ज्ञानमती हुक्म  
(समीक्षा संकेत)  
प्रधान  
ग्राम पंचायत गंगोला कोटुली  
दिल्लीखें-ताकुली (प्रभाग)

राजस्व उपचिकित्सण  
राजस्व उपचिकित्सण  
क्षेत्र—  
हास्पील/जिला—शहरोड़ा

### अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(१४)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम—विरेन्द्र सिंह

ग्राम—गंगोलाकोटुली

कास सेक्षण...Km. 2. Km. 4.6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
काश्तकार श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री विश्वान सिंह  
ग्राम गंगोलाकोटुली पटद्वारी वृत्त झिल्हाड़ जिला अल्मोड़ा

के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हेट्र०)
1	137/2860	0.0050
2		
3		
4		
5		
6		
7		

विवरण  
(संस्कृती लिखने के लिए)

ग्राम पंचायत मंगोला कोटुली  
क्र०ख०-दाकुल (५०५०५०)

राजस्व उपनिरीक्षण  
राजस्व उपनिरीक्षक  
धैरेन्द्र सिंह  
दहरील/जिला-अल्मोड़ा

### अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(१५)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम—नन्दन सिंह

ग्राम—गंगोलाकोटुली

कास सेक्षण...Km. 2. Km. 0-2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
काश्तकार श्री नन्दन सिंह पुत्र श्री कैश्वर सिंह  
ग्राम गंगोलाकोटुली पटद्वारी वृत्त झिल्हाड़ जिला अल्मोड़ा

के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हेट्र०)
1	137/2860	0.0090
2		
3		
4		
5		
6		
7		

विवरण  
(संस्कृती लिखने के लिए)

ग्राम पंचायत मंगोला कोटुली  
क्र०ख०-दाकुल (५०५०५०)

राजस्व उपनिरीक्षण  
राजस्व उपनिरीक्षक  
धैरेन्द्र सिंह  
दहरील/जिला-अल्मोड़ा

### अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(७)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम—श्रीब. सिंह

ग्राम—गंगोलाकोइली

कास सेक्षण Km. 4 Hm. 4-6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
काश्तकार श्री श्रीब. सिंह पुत्र श्री कैशर सिंह  
ग्राम गंगोलाकोइली पट्टवारी वृत्त स्थिलाइ जिला अल्मोड़ा

के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टर)
1	137/2860	0.0590
2		
3		
4		
5		
6		
7		

श्रीब. सिंह  
(संस्कृत देवनागरी)  
प्रधान

ग्राम पंचायत गंगोलाकोइली  
क्रि०ख०-ताकुला (१०५८)

राजस्व उपनियोक्त  
क्षेत्र—५.६१ हेक्टर  
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

### अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(१०)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद 'अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

श्रीब. सिंह  
(संस्कृत देवनागरी)  
नाम—श्रीब. सिंह

ग्राम—गंगोलाकोइली

कास सेक्षण Km. 5 Hm. 0-2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
काश्तकार श्री श्रीब. सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह  
ग्राम गंगोलाकोइली पट्टवारी वृत्त स्थिलाइ जिला अल्मोड़ा  
के नाम भूमि विवरण  
निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टर)
1	137/2860	0.0480
2		
3		
4		
5		
6		
7		

श्रीब. सिंह  
(संस्कृत देवनागरी)  
प्रधान

ग्राम पंचायत गंगोलाकोइली  
क्षेत्र—५.८१ हेक्टर  
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

राजस्व उपनियोक्त  
राजस्व उपनियोक्त  
क्षेत्र—५.८१ हेक्टर  
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(102)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में  
शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी) हेतु जो भूमि  
निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की  
जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार  
हूँ।

भवदीय  
मुक्तिपत्र  
नाम— अब्दुल खाली  
ग्राम— गंगोल्लाकोटी

कास सेक्शन Km 5 के 8-10 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु  
काश्तकार श्री विश्वनाथ सिंह पुत्र श्री मीते सिंह  
ग्राम गंगोल्लाकोटी पटटवारी वृत्त निहिंसा जिला लालमढ़ा  
के नाम भूमि विवरण

निम्नप्रकार है—

क्रमांक	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टर)
1	137/2860	0.0710
2		
3		
4		
5		
6		
7		

प्रधान  
ग्राम पंचायत नगर लालमढ़ा  
हिमाचल प्रदेश-261105

राजस्व उपनियोक्ता  
राजस्व उपनियोक्ता  
क्षेत्रीय उपनियोक्ता  
शहसील जिला-अल्मोड़ा

प्रपत्र-25

2-20

(50)

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का  
बसौली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व  
प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित  
वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की  
समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 11 किमी है।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा जन प्रसाद, अल्मोड़ा  
प्रभागीय वनाधिकारी

विश्वनाथ सिंह

द्वय द्वय द्वय  
द्वय द्वय

द्वय द्वय द्वय  
द्वय द्वय



(8) प्रसर राम

(9) गोपाल (14)

(10) शिवम्

ज्ञानगाराम  
नागिनीराम

दीक्षित राम

लगशीश राम

प्रभुपद्मामृत

जीर्ण राम

वीरामीर

दिव्यराम

देवराम

दीक्षितराम

विद्यराम

### प्रोटो भ्रत सत्यपि

सहायक अध्ययना,

विद्यापि छण्ड, लो.नानांचि

बल्दाळा

राम राम

Ram of Ram

रामराम

### प्रोटो भ्रत सत्यपि

सहायक अध्ययना,

विद्यापि छण्ड, लो.नानांचि

बल्दाळा

फोन नं 941119957

अनापति प्रगाम राज

प्रमाणित किया जाता है कि शहीद मोहन सिंह मेटर मार्ग के विस्तरीकरण से ग्राम बासी श्रीं रुप से रहते हैं। मोहन मार्ग इस राम (अनापति) प्रगाम सिंह, शोकर सिंह, राजीत सिंह एवं नानाधार सिंह कार्की (प्रेमेन्द्र) मल्होड़गांव बालों के घरों के आठों बड़गांव नदर के स्थान से जाते हैं हमें कोई आवक्ष नहीं है।

प्रोटो भ्रत सत्यपि

प्रगामी

छण्ड

वाम धैर्यत नानांचि कोटुली

वाम धैर्यत नानांचि (काटोडोइ)

१) दीक्षुद्ध सिंह विव.

२) हन्सा विव.

३) हिमत सिंह विव.

४) दीक्षुद्ध राम नानांचुराम

५) दीक्षुद्ध विव.

६) धर्म-दुष्ट विव.

७) लालिं देवी

८) लालि श्वेतिपि

९) लालि देवी

१०) लालि देवी

११) लालि देवी

१२) लालि देवी

१३) लालि देवी

१४) लालि देवी

१५) लालि देवी

१६) लालि देवी

१७) लालि देवी

१८) लालि देवी

१९) लालि देवी

२०) लालि देवी

२१) लालि देवी

२२) लालि देवी

२३) लालि देवी

२४) लालि देवी

२५) लालि देवी

२६) लालि देवी

२७) लालि देवी

२८) लालि देवी

२९) लालि देवी

३०) लालि देवी

३१) लालि देवी

३२) लालि देवी

३३) लालि देवी

३४) लालि देवी

३५) लालि देवी

३६) लालि देवी

३७) लालि देवी

३८) लालि देवी

३९) लालि देवी

४०) लालि देवी

४१) लालि देवी

४२) लालि देवी

४३) लालि देवी

४४) लालि देवी

४५) लालि देवी

४६) लालि देवी

४७) लालि देवी

४८) लालि देवी

४९) लालि देवी

५०) लालि देवी

५१) लालि देवी

५२) लालि देवी

५३) लालि देवी

५४) लालि देवी

५५) लालि देवी

५६) लालि देवी

५७) लालि देवी

५८) लालि देवी

५९) लालि देवी

६०) लालि देवी

६१) लालि देवी

६२) लालि देवी

६३) लालि देवी

६४) लालि देवी

६५) लालि देवी

६६) लालि देवी

६७) लालि देवी

६८) लालि देवी

६९) लालि देवी

७०) लालि देवी

७१) लालि देवी

७२) लालि देवी

७३) लालि देवी

७४) लालि देवी

७५) लालि देवी

७६) लालि देवी

७७) लालि देवी

७८) लालि देवी

७९) लालि देवी

८०) लालि देवी

८१) लालि देवी

८२) लालि देवी

८३) लालि देवी

८४) लालि देवी

८५) लालि देवी

८६) लालि देवी

८७) लालि देवी

८८) लालि देवी

८९) लालि देवी

९०) लालि देवी

९१) लालि देवी

९२) लालि देवी

९३) लालि देवी

९४) लालि देवी

९५) लालि देवी

९६) लालि देवी

९७) लालि देवी

९८) लालि देवी

९९) लालि देवी

१००) लालि देवी

१०१) लालि देवी

१०२) लालि देवी

१०३) लालि देवी

१०४) लालि देवी

१०५) लालि देवी

१०६) लालि देवी

१०७) लालि देवी

१०८) लालि देवी

१०९) लालि देवी

११०) लालि देवी

१११) लालि देवी

११२) लालि देवी

११३) लालि देवी

११४) लालि देवी

११५) लालि देवी

११६) लालि देवी

११७) लालि देवी

११८) लालि देवी

११९) लालि देवी

१२०) लालि देवी

१२१) लालि देवी

१२२) लालि देवी

१२३) लालि देवी

१२४) लालि देवी

१२५) लालि देवी

१२६) लालि देवी

१२७) लालि देवी

१२८) लालि देवी

१२९) लालि देवी

१३०) लालि देवी

१३१) लालि देवी

१३२) लालि देवी

१३३) लालि देवी

१३४) लालि देवी

१३५) लालि देवी

१३६) लालि देवी

१३७) लालि देवी

१३८) लालि देवी

१३९) लालि देवी

१४०) लालि देवी

१४१) लालि देवी

१४२) लालि देवी

१४३) लालि देवी

१४४) लालि देवी

१४५) लालि देवी

१४६) लालि देवी

१४७) लालि देवी

१४८) लालि देवी

१४९) लालि देवी

१५०) लालि देवी

१५१) लालि देवी

१५२) लालि देवी

१५३) लालि देवी

१५४) लालि देवी

१५५) लालि देवी

१५६) लालि देवी

१५७) लालि देवी

१५८) लालि देवी

१५९) लालि देवी

१६०) लालि देवी

१६१) लालि देवी

१६२) लालि देवी

१६३) लालि देवी

१६४) लालि देवी

- ० शुभ काली - इन्द्रा काली  
 वक्तव्य सिंह - वरम छिंद  
 प्रधिकर बिहु काली - shukul  
 पारखी देवी १  
 खेत काली खेत काली  
 खेती हेती

० चंद्री (चंद्री)  
 ० घरमा देवी घरमा देवी  
 ० खेत देवी - खेत देवी  
 ० घोड़ा देवी  
 ० चंद्र देवी

नीरा देवी की कालीनीरा देवी काकी अनीषा जाती कर्णपा  
 ० राजती देवी → रामानी देवी  
 ० लहिया देवी  
 ० बड़ी देवी

० छतुली देवी  
 ० हमा देवी

० ग्रनेवा देवी

० झजय सिंह Shrawan  
 ० रमा काली रमा देवी mukesh Singh  
 ० शेष जिंद Uttam Jind  
 ० डला जिंद  
 ० जायती देवी जायती देवी

शहूदक बापदत्ता, निर्मल बाड़, लाठोलालक  
 बल्दाहा

० लिप्लि देवी - लिप्लि देवी  
 ० देवनी देवी - देवनी देवी  
 ० देवेश बिहु - M. Karkhi  
 ० उमाशाल बिहु - Umashal  
 ० मिल बिहु Uma Bihari Das  
 ० आटी देवी

० दीपा देवी दीपा देवी

देवी काकी अनीषा जाती कर्णपा  
 ० राधिका देवी

० ग्रामीण  
 ० रामानी देवी

नीरा देवी  
 लहिया देवी  
 चंद्री देवी  
 जायती देवी  
 गोपी देवी

शहूदक बापदत्ता, निर्मल बाड़, लाठोलालक  
 बल्दाहा

4-21101 - L1 C21

क्रमागत किम्य जाता है कि जीव मोटेर से भोटेर मार्ग के विचारण को - इन गैल बैटर के सभी किंवदं जान पर आग-झेजाइ, लिंगड़े के ग्रामीण वी

अतः इसे विद्युतारूप बदलना चाहिए।

१४८

प्राथं च चायत् विज्ञातु  
प्रियः - तासुणा (परस्पोरा)

क्षोटी प्रांत, पते  
सहायक ओमदेवता,  
निर्माण खड़, लोनिनी  
लत्साहा

प्रभां पर

प्रमाणित किया जाता है कि शहीद मोहन सिंह मोहर  
मार्ग जो कि अटके से बसीली तक का विद्यार्थी करण  
पुस्तकिष्ट है, उसे अर्जेव नहर के सामान्तर हो  
कर वे बसीली मिलाया जाय, इस समय तक  
पवायत करनी हो सकती है, जो भी भास्तु

प्राची विजय

सहायक अधिकारी, प्राय पंचागत लेङ्ड  
विधायिक वृष्टि, बोनियादि विधिखण्ड-प्राकृता (ग्रन्थ)  
सम्प्रोता

1940-1941

१८

भारतीय जनता पार्टी, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

भगवान्विदो

## चायतन सहस्र

卷之三

4/के.प.संक्षि.182008

पासः प्राप्ति = गंगोला कोहरारी

गो गुहार क्लाउड- वाकला

ग्रन्थालय

9412927974

दिनांक : २९/१२/२०२२

मिसन अधि क्षेत्राता, महोदय  
तिसीधा रुद्र- लोकि हि, अगोदा

ਵਿਲੱਧ: ਬਾਹੀਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੋਦਰ ਜਾਂਗ ਜਿਵੰਗ ਕਲਤਾ

मोटर, शेहीद मोहन सिंह मोटर मार्गी का रिस्तारिकरण गंगोला लोडुली से लाए  
दिया गया है, इस मोटर मार्गी का निश्चीय गंगोला लोडुली हैन वे  
अन्यत्र भूरन राज (कठाराम) पूरन सिंह, बंकर सिंह, राजनीति लिंग राज (राजपाल) सिंह  
वा. तथा लोडुली में अरबों नक्द वे सभी से किया जाय.

महोराम, ग्राम- उत्तरांश एवं लेक वरोली (गङ्गना) में जनसाकानाडों पहुँच के द्वारा ऐसे रखकर शहीद की घटना होने वाली है। इन सड़कों पर दूसरी सड़क के लिए दूसरी सड़क पर चलना चाहिए यह अपेक्षा करने के उपर्युक्त है।

୧୮୩୮

ज्ञानोदय प्रति सत्यापित

ममता देवी  
(परता देवी)  
सदस्य  
शैव पंचायत-गोलिंग कोहुरी  
जि. ए. रामकृष्ण (बलदेव)

श्रीम पंचायत-गंगीषा कोहुसी  
पि० ष१०-ताकला (इत्योऽति०)

लोग ने लघुपिता

मुख्य अधिकारी,  
काशी बाल, नोंगला  
**प्रसाद**

## ਚੰਦੇਂ ਸਿੰਹ ਬਿਛ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

## ग्राम प्रधान चुनावी

ਪੀ0 ਔ -ਬੈਸੋਡੀ, ਵਿ0 ਖ0 ਤਾਕੂਰਾ,  
ਤਹਸੀਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਲਮੀਨਾ  
ਫੋਨ : 253147, ਮੋ 9411516110

प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा जनवरी 2019 को अनुमति प्राप्त किया गया।

लौ. निः किं एवपि अल्मोडा  
विषय- लौली नामक ग्रन्थ ग्रन्थ से गढ़वा/रियाल के निकट से दलाल-जुहाड़ा/ग्रन्थ माला-खड़ाओं आदि गढ़वा/एवं मेहमानिया गोटर राजा गोडन वाला।

महोदय निवेदन इस प्रकार है कि संदर्भ शासन का पत्रों का  
५०८ अप्रैल ०८ दिनों के १-५-०८ यह गांधी शहीद राहोना है।  
से वर्तीली स्विस्टार के अन्तर्गत आता है जोसका अन्तर्गत  
कुण्डा लोने नि. विलोग्ड के पतोंके १०९५७/१०६४७/१०७/विलोग्ड  
६-१२-०७ द्वारा उत्तरांजल शासन को प्रेषित है जिसमें निलंबित  
५ नि. गोवीन्द जिली नगर १-७५ तथा स्वीचारित है उक्त  
जिली की २४-३-०९ से ३१-३-०९ इन तीन दिनों में जलम  
मालागोव - चुराड़ी - दलाड़ी से मृदुला रिसोर्ट गोडकुड़ी ए  
- चुराड़ी के १९-५-०९ द्वारा सर्व ना हो चुका है इससर्व के लिये  
उस इलाके की बायीं अपका एवं गत गर्त है इस रोड से सप्तरात  
जन्तु रुक्स है क्योंकि गोडकुड़ा रिसोर्ट वर्षीली से सोना-दलाड़ी -  
गोडकुड़ा रुक्स है क्योंकि गोडकुड़ा रिसोर्ट वर्षीली से सोना-दलाड़ी -  
गोडकुड़ा - मल्ला गोडकुड़ा - रुक्स है क्योंकि गोडकुड़ा रुक्स है  
रुक्स - मल्ला गोडकुड़ा - रुक्स है क्योंकि गोडकुड़ा रुक्स है।

W/SN/6 ये गोपनीय साथ जुड़ते हैं कि इस दृष्टि की ओर तो को लहराकर अधिकता, निमाण उण्ड, बांधनानम् वल्पयोग।  
गोपनीय से निवेदन है कि इस दृष्टि की ओर तो को लहराकर अधिकता, निमाण उण्ड, बांधनानम् वल्पयोग।  
सही से गोपनीय से निवेदन है कि इस दृष्टि की ओर तो को लहराकर अधिकता, निमाण उण्ड, बांधनानम् वल्पयोग।  
इस दृष्टि की जारीता प्रदान वर्कार्यान् मात्रा इस दृष्टि की जारीता प्रदान वर्कार्यान् मात्रा  
आपारु रक्षार्थकरणी इस दृष्टि का आप शीघ्र वाला नहीं  
जाएगा चाहती है !

१८८ श्रीमद्भागवत् अधिकारी  
श्रीम. पंडित विजय  
ता. कृष्णनाथ

१०८ विद्युत विभाग  
विद्युत विभाग

शास्त्रादेश उत्तिष्ठन्ति,  
प्रियोगा करन्ते, कीर्तन्ते।

- | 24) | लू-बन लिए      | <u>Dash</u>           |
|-----|----------------|-----------------------|
| 25) | दीवान लिए      | <u>Swaroop</u>        |
| 26) | रामलिङ्ग       | <u>CF</u>             |
| 27) | विदेश लिए      | <u>Shri Ram Singh</u> |
| 28) | मोहन लिए       | <u>Bishen Singh</u>   |
| 29) | संगीत लिए      | <u>Shankar Singh</u>  |
| 30) | मुकेंद्र लिए   | <u>Shankar Singh</u>  |
| 31) | राधा लिए       | <u>Shankar Singh</u>  |
| 32) | नरसिंह लिए     | <u>मधुली देवी</u>     |
| 33) | पुष्पी लिए     | <u>Shankar Singh</u>  |
| 34) | गलाम लिए       | <u>Shankar Singh</u>  |
| 35) | रजनी लिए       | <u>Shankar Singh</u>  |
| 36) | मालकी लिए      | <u>Shankar Singh</u>  |
| 37) | मायाम लिए बोडी | <u>Shankar Singh</u>  |
| 38) | मायाम लिए      | <u>Shankar Singh</u>  |
| 39) | प्रताप लिए     | <u>Shankar Singh</u>  |
| 40) | हरि लिए        | <u>Shankar Singh</u>  |
| 41) | शंकर लिए       | <u>Shankar Singh</u>  |

ਅਗੋਂ ਪ੍ਰਾਤਿ ਸਾਰਾ ਹੈਂਦੀ ਗੁਗ ਕੱਢਕੁਡਾ ਨਾਲ ਚੌਪਈ ਵੇਕਟ, 24 ਅਕਤੂਬਰ।  
ਏਥਰ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜਾ ਵਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਤ ਆਉਂ।  
ਜਾਂਚੀ ਸੋਠੀ ਵੇਖ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਆਗ ਦੁਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  
ਭੁਲ੍ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਦੇਂਦੀਆਂ ਵਾਨੀ ਵਾਹਾਂ ਵੱਡੀ ਛੁਕ੍ਕਾ ਪੈਂਦੀਆਂ।

६४ पंचायत दुर्दी  
८० - १० - १२००,  
प्रेस १२००.

શ્રીમતે પ્રદીપ્તિ માધવ

गीत पंचायत चक्रवा.  
हिंदू वृह्णि-राजुला (पात्रों की)

प्रति सत्यपिता

सहायक अभियन्ता,  
निर्मण खण्ड, लांगनांव,  
बालूद्वारा।

प्रपत्र-18

2.27

(१२)

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी  
शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग  
बसौली तक विस्तार  
अल्मोड़ा

शहीदक अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो. निर्माण  
अल्मोड़ा

शहीदक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो. निर्माण  
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा  
प्रभागीय वनाधिकारी

वाइफ वर्टेक्स  
कार्यालय अल्मोड़ा

दप वन वाइफ  
अल्मोड़ा वन वैक्स

2.28

(१३) (३५)  
(७०)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1  
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग  
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 200/2146/09  
जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के बसौली तक विस्तार हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

नवम्बर 2009

**जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के बसौली तक विस्तार हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आवश्य।**

1. जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के बसौली तक विस्तार हेतु निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के अन्तर्गत 5.00 किमी<sup>0</sup> लम्बाई में शहीद मोहन सिंह मार्ग को बसौली तक विस्तार हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिकारी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताकारी द्वारा दिनांक 28.10.2009 को सार्वधित सहायक अभियन्ता प्राप्ति एस कन्याल के साथ निरीक्षण किया गया।
2. जनपद अल्मोड़ा-चूरांगी-बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली-तक विस्तार कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर सर्वेक्षण किया गया है। समरेखन संख्या दो पर स्थानीय ग्रामीणों की असहमति एवं अन्य लक्नीकी विन्दुओं की व्यापक विवरण संख्यते हुये समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। पातलीबुमड़ी-पानीय मोटर मार्ग से शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग 2.00 किमी<sup>0</sup> लम्बाई में पूर्व निर्मित है। इस विभाग के अन्तिम विन्दु से आगे उत्तरांतर प्रस्तावित समरेखन एक आसम होता है तथा 4.90 किमी<sup>0</sup> लम्बाई के बाद अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग पर बसौली के रामीय पूर्ण होता है। प्रस्तावित मार्ग से बास गोपाल कुली, चुरांगी तथा बसौली आदि लाभान्वित होते हैं। अवगत कराया गया कि अलग-अलग भाग में समरेखन नाप भूमि, सिविल भूमि तथा आरक्षित वनमयी संकायोंके गुजरता है। समरेखन में दो हेयर पिन बैण्ड हैं जो किमी<sup>0</sup> 4 तथा 5 में दिये गये हैं। समरेखन क्षेत्र में साइको क्लिंपिंग चट्टान हैं तथा स्थान-स्थान पर इनके मिट्टी व उड़ीसा की ओपर बर्डन है। किमी<sup>0</sup> 1 के अन्त में लगभग 150 मी<sup>0</sup> लम्बाई में पहाड़ी ढलान तीव्र है। जिसमें मार्ग कटान की ऊँचाई अधिक हो जाने के कारण मार्ग निर्माण में साक्षात् अपेक्षित होती है। स्थान निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्ट्या कोई अरिथता दृष्टिगोचर नहीं हुई। अवगत कराया गया कि प्रस्तावित समरेखन अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त लोनिंगिं अल्मोड़ा द्वारा अनुमोदित है।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
  - (क) यथासम्भव मार्ग की पूरी ऊँचाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थितरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग तीव्रांग का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।
  - (ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त रेशर भाग में सावधानीपूर्वक बनाये जाये।
  - (ग) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आस की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति में मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूखलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।
  - (घ) समरेखन के समीप स्थित धरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।
  - (ङ) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाया जाये, अन्यथा उस भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अरिथता लक्ष्यन्त न हो।

(च) जहाँ मार्ग कटान की ऊँचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट बाल का निर्माण कराया जाये।

(छ) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(ज) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(झ) पर्यावरण क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये विर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु:-

(इ) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

(ii) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते हैं तथा नई दररे भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अरिथरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहाँ आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

5. प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

(1) भूमि हस्तातरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आछाता है। मार्ग कटान के पश्चात् रिथति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

(2) मुख्य अभियन्ता स्टर्ट लो० निं० वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्ग निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पंत्राक 7272/8(1)याता०-३०/०५ दिनांक 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जायें।

**कोटे झांग रापत**

**कोटे झांग रापत**  
महाविकालीन  
महाविकालीन  
निर्माण बैण्ड, लो०निंगिं  
देहरादून

H.Kumar  
4.11.09  
भूविकालीन  
महाविकालीन  
निर्माण बैण्ड, लो०निंगिं  
देहरादून

सहाय्यक अधिकारी,  
निर्माण बैण्ड, लो०निंगिं  
देहरादून

**परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)**

### Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :—
- (v) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (vi) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (vii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (viii) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
- (ix) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है।

एवं  
प्रमाणित  
अभियन्ता,  
निर्माण इण्ड, सो० १०००५०  
बाल्योड़ा

प्रमाणित  
अभियन्ता  
निर्माण इण्ड, सो० १०००५०  
बाल्योड़ा

**परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी)**

### :मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण—पत्र:

#### :मानक शर्त:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बर्नी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याकृत विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वाच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि स्थः बिना किसी प्रकार के प्रतिक्रिया के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्थः बिना किसी प्रतिक्रिया का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सांगिनियों द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सांगिनियों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, ५० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सांगिनियों द्वारा किया जायेगा कि अशमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण से भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।

17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होंगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

शहायक अधिकारी,  
विर्बंध खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेंसी  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

**परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० ५.०० किमी)**

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तें प्रस्तावक विभाग को मान्य होंगी।

शहायक अधिकारी,  
विर्बंध खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेंसी  
निर्माण अधिकारी,  
विर्बंध खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

2.33

७७

### प्रपत्र-37

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मरिजद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं हैं तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

प्रधोक्ता अंजोस्ती  
निर्माण खण्ड, लो०न००व०  
बल्मोड़ा

छहायक आभ्यन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
बल्मोड़ा

ऐतिहासिक स्थल

जिलाधिकारी  
बल्मोड़ा

प्रधानीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रधान, बल्मोड़ा

जिलाधिकारी  
सोनेपत्ता

तहसीलदार  
सोमेश्वर

तहसीलदार  
बल्मोड़ा

2.33

७७

### प्रारूप-38

2.34

७८

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख—रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

छहायक आभ्यन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
बल्मोड़ा

प्रधोक्ता अंजोस्ती  
निर्माण खण्ड, लो०न००व०  
बल्मोड़ा

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० ५.०० किमी०)

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

खात्यक अधिकारी,  
निर्माण खण्ड, ल०० निं० वि०  
अल्मोड़ा

*H*  
प्रयोक्ता श्री एजेंसी  
निर्माण खण्ड, ल०० निं० वि०  
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० ५.०० किमी०)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीयग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	गंगोला कोटुली	455	85
2	चुराड़ी	112	19
3	भकुना	1144	220
	खडाऊ	126	20
4	बसौली	322	58
5	भैसाड़ी	265	49
	योग	2424	451

खात्यक अधिकारी,  
निर्माण खण्ड, ल०० निं० वि०  
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता श्री एजेंसी  
निर्माण खण्ड, ल०० निं० वि०  
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

#### एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :—

1. ईको-व्हाइट श्रेणी.....V....

2. हरियाली का घनत्व.0!A....

एन०पी०वी० की दर प्रति हेतु रुप०५५८४/-

4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.रु.३५८०

5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि.....

#### प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन प्रबन्धन विभाग  
अल्मोड़ा

वार्षिक वृद्धि  
क्रमांक ५५

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन प्रबन्धन विभाग  
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक वासियन्ता,  
विभाग खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी  
विधिशासी अधिकारी,  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

### वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 450000.00 प्रति हेक्टर है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 2.3500 हेक्टर वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रुपये 1057500.00 होता है।

श्रति इनाहारिणि  
  
 जिला अधिकारी  
 अधिकारी  
 श्रति इनाहारिणि

वन भूमि का प्रमाण-पत्र  
 वन भूमि का प्रमाण-पत्र  
 वन भूमि का प्रमाण-पत्र

०१  
 विवाहित हरव  
 भूमि

वन भूमि का प्रमाण-पत्र  
 वन भूमि का प्रमाण-पत्र  
 वन भूमि का प्रमाण-पत्र

### सारणी-10

संलग्नक रांग	संलग्नक का नाम Name of the Attachment	Attached status	
		Yes	No
1.1	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency. सक्षम अधिकारी / ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2	Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted. सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया है।	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3	Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS. सैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 के साथ दिखाया गया है।	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend. (kml file) (pdf file). गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण लप से दर्शाया गया है।	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land (pdf file). प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006(in MoEF revised prescribed form) (pdf file). जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण-पत्र यह संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: signed by DFO (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के वैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया है तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA. (kml file ) signed by DFO (pdf file). सैप गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate (pdf file). यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.10	Copy of MoU/agreement executed between the Present owner and the User Agency. (pdf file). भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.11	Cost benefit analysis (in more than 5.0 ha. Land diversion cases) (pdf file). विवित लागत-लाभ विशलेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।		<input checked="" type="checkbox"/>

सारणी—11

संलग्नक सं०	संलग्नक का नाम	Attached Status	
	Name of the Attachment	Yes	No
2.1	A short narrative and importance of the project.. (pdf file). प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	✓	
2.2	Administrative and Financial sanction (pdf file). परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थीरता।	✓	
2.3	Preliminary Joint Inspection report (by user agency, forest department, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट)। (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	✓	
2.4	Comparative chart showing statement of both alignment or alternate site वैकल्पिक सरेखणों को मानविक पर प्रदर्शित कर उनके निररत किये जाने का औचित्य एवं	✓	
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is जिलाधिकारी/प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल (रिजर्व फोरेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि	✓	
2.6	Land schedule (for RF signed by DFO and civil soyam, Van panchayat प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल (रिजर्व फोरेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि	✓	
2.7	Category wise (RF,civil soyam, Van panchayat and private nap land, परियोजना की लम्बाई तथा कुल लेटर हो में भूमि विभिन्न वर्गीकारी आवश्यक, निज वन,	✓	
2.8	Bar Chart with index (counter signed by DFO). (pdf file). परियोजना का भूमि उत्तयोग का वार-चार्ट। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	✓	
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land (10 years) क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्षीय दरों पर)।	✓	
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उत्प्रकृता प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	✓	
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय	✓	
2.12	Road side/gap filling plantation estimate (by DFO) (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावक्ळन।	✓	
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि	✓	
2.14	Estimate of 100 trees plantation by DFO ( less than 1.0 ha. cases ) (pdf प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (1 हेक्टेर से कम	—	
2.15	Details of the trees with their scientific name in RF, Civil Soyam, Van परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आवश्यक वन	✓	
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.17	If felling of trees is not involved, certificate by DFO in this regard. (pdf अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय चनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।	✓	
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work. (pdf file) . न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.19	Muck disposal scheme (in prescribed format) (pdf file). परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना। (निर्धारित प्रारूप में)।	✓	
2.20	Whather project area is a part of National Park or sanctuary and arial प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	✓	
2.21	If the project area is within 10 Km radius of N/P or Centuary, यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि	✓	
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो	✓	

2.23	No violation has taken place, FC Act. 1980 reg. (pdf file). वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	✓
2.24	NOC from local Gram Sabhas. (pdf file). आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	✓
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्राक्लन तथा स्काम अधिकारी द्वारा	✓
2.26	Component wise details of construction work. (pdf file) . अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	✓
2.27	Certificate- work has not been started reg. (pdf file). कार्य आस्तम न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓
2.28	Geologist Report (Govt. approved Geologist). (pdf file). भू-वैज्ञानिक की आख्या।	✓
2.29	Task Force report. टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	✓
2.30	Certificate by user agency for complying the condition imposed in प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in टास्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓
2.32	No historical/monumental or relegateous place will be effected certificate इतिहासिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	✓
2.33	Undertaking regarding no animal will be effected adversely by the वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓
2.34	Undertaking to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तेल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	✓
2.35	Benefited villages/Families/Population Certificate. (pdf file). लाभान्वित होने वाले ग्रामी/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	✓
2.36	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreme court /MoEF orders एनपीवी० की देयता का प्रमाण-पत्र।	✓
2.37	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreme Court increases the मात्रा उच्चार न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई	✓
2.38	Cost of the forest land and lease rent certificate by DM. (pdf file). वन भूमि के लैज रेट का प्रमाण-पत्र।	✓
2.39	Certificate of Lease period by user agency. (pdf file). लैज अवधि का प्रमाण-पत्र।	✓
2.4	Demarcation of land to be diverted (pdf file). आर०पी०वी० पिलरों के सीमांकन का प्रमाण-पत्र।	✓
2.41	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work (pdf आर०पी०वी० पिलरों के व्यय को बहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	✓
2.42	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य संघिव द्वारा दिया गया	—
2.43	checklist	✓